



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

27 कार्तिक 1943 (श10)
(सं० पटना 946) पटना, वृहस्पतिवार, 18 नवम्बर 2021

सं० 27/आरोप-01-29/2019/12598-सा0प्र0

सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

26 अक्टूबर 2021

श्री राजेश्वर प्रसाद, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-986/11 तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता, शेखपुरा, सम्प्रति निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, मधुबनी के विरुद्ध गैरमजरूआ आम जमीन के कुल 12 प्लॉटों (खेसरो) का अनाधिकृत एवं अवैध रूप से श्री संतोष कुमार के नाम से जमाबंदी कायम करने संबंधी आरोप जिला पदाधिकारी, शेखपुरा के पत्रांक-336 दिनांक-10.07.2017 द्वारा प्राप्त हुआ है।

2. उक्त कार्य के लिये श्री राजेश्वर प्रसाद, तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता, शेखपुरा के विरुद्ध जिला पदाधिकारी, शेखपुरा से प्राप्त आरोप पत्र के आलोक में विभागीय स्तर पर आरोप पत्र गठित कर अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया। तदुपरान्त विभागीय पत्रांक-10502, दिनांक-06.08.2018 द्वारा श्री प्रसाद से स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

3. श्री प्रसाद के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी। समीक्षोपरान्त श्री प्रसाद के विरुद्ध आरोपों की वृहत जांच हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के संगत नियमों के तहत अनुशासनिक कार्यवाही आरंभ करने का निर्णय लिया गया है।

4. श्री प्रसाद के विरुद्ध संचालित किये जाने वाले विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी प्रमंडलीय आयुक्त, मुँगेर प्रमंडल, मुँगेर एवं उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, शेखपुरा द्वारा नामित वरीय पदाधिकारी होंगे।

5. श्री प्रसाद से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा की संचालन पदाधिकारी अनुमति दें उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

जय शंकर प्रसाद,

सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 946-571+10-डी0टी0पी0

Website: <http://egazette.bih.nic.in>